

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प 17(13) शिक्षा-1 / 2008-1692

जयपुर, दिनांक: AS E-Signed.

—: परिपत्र :-

माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. एवं निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की राजस्थान की मूल निवासी ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 व 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग-अलग) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 08, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 व 12 (व्यावसायिक शिक्षा) की उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की कक्षा 12 (विज्ञान संकाय) में 09 सीजीपीए से अधिक अंक के साथ उपरोक्त वर्गों में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की छात्राओं में से राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, कक्षा 08 की बालिका को 25,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिका को 50,000 रुपये एवं कक्षा 12 की सभी वर्गों (संकायों) की बालिकाओं को 75,000 रुपये “**पद्माक्षी पुरस्कार**” के रूप में दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि का संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

इस योजना के नियम एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. यह योजना वर्ष 2025-26 से लागू होगी।
2. इस योजना की पात्र बालिका का राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग-अलग) की परीक्षाओं में 1. सामान्य 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक वर्ग 6. अति पिछड़ा वर्ग 7. बी.पी.एल 8. निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की बालिकाएँ, जिन्होंने उक्त बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में उक्त आठों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन आठ बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जायेगा।
4. कक्षा 08 (संस्कृत विभाग), प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जायेगा।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 व 12 (व्यावसायिक शिक्षा) की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जायेगा।
6. स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में अध्ययन करने वाली सभी वर्गों की विज्ञान संकाय की परीक्षाओं में उक्त आठ वर्गों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों की छात्राओं में से राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, पाठ्यक्रम 09 सी.जी.पी.ए. से अधिक हो उन बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation: Deputy Secretary to
Government of Rajasthan

Date: 2025.06.02 15:36:14 IST

Reason: Approved



7. इस योजना में निःशक्त वर्ग (दिव्यांग)/ CHILD WITH SPECIAL NEED समूह की बालिकाओं में से Topper बालिका का चयन किया जावे।
8. पुरस्कार स्वरूप कक्षा 08, कक्षा 10 एवं 12 की बालिकाओं को क्रमशः 25,000 रु., 50,000 एवं 75,000 रु. एवं प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
9. यदि उपरोक्त वर्णित वर्गों में किसी भी वर्ग में समान अंक प्राप्त करने वाली एक से अधिक बालिकाएँ हों तो सभी को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
10. इस पुरस्कार हेतु उक्त वर्गों की जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की पात्र बालिकाओं हेतु न्यूनतम 09 सीजीपीए से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
11. उक्त पुरस्कार वितरण हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा नोडल अधिकारी होंगे।
12. नोडल जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम दू गोषित होने के पश्चात् जिलेवार उपरोक्त सभी श्रेणियों की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक सम्पूर्ण विवरण (बालिका का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, पता, वर्ग, श्रेणी, संकाय एवं प्राप्तांक आदि) सहित सूची आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी।
संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8, 10 (प्रवेशिका) एवं 12 (वरिष्ठ उपाध्याय) की राज्य में उपरोक्त श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची संबंधित संस्कृत संभागीय अधिकारी द्वारा तैयार की जाकर निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक प्रेषित की जायेगी।
स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा 12 की विज्ञान संकाय की 09 सी. जी.पी.ए. से अधिक अंक प्राप्त करने वाली उक्त आठ वर्गों में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को 15 अगस्त तक प्रेषित की जायेगी।
13. पद्माक्षी पुरस्कार की पात्र बालिकाओं की जिलेवार सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को उपलब्ध करवायी जायेगी।
14. नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा पुरस्कृत होने वाली समस्त बालिकाओं की सूचना संबंधित संस्था प्रधान एवं संबंधित बालिकाओं को भिजवायी जावेगी।
15. यह पुरस्कार बालिकाओं को नियमित अध्ययन करने पर ही दिया जायेगा। इसके लिए बालिका को वर्तमान में जहां अध्ययनरत है वहां के संस्था प्रधान द्वारा प्रदत्त नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त पुरस्कार हेतु पूरक परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं किया जावेगा।
17. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया जावेगा।
18. बोर्ड परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र में जिस जाति/वर्ग का कोड अभ्यर्थी द्वारा भरा गया है वही अंतिम रूप से मान्य होगा।
19. नोडल अधिकारी पुरस्कार वितरण की सम्पूर्ण सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक प्रेषित करनी होगी।

Signature valid

Digital Signature of Om Prakash Verma
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.06.02 15:36:14 IST
Reason: Approved

20. इस योजना में पुरस्कृत होने वाली बालिका को संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा पुरस्कृत होने वाली बालिकाओं के प्रमाण-पत्र बनवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जावेगी।
22. योजना में राजकीय एवं निजी विद्यालयों (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त) में अध्ययनरत बालिकाओं (स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को छोड़कर) को सम्मिलित किया जायेगा।
23. इस योजना पर होने वाला व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।
24. उक्त योजना के सभी अधिकार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की शासी परिषद (GC) एवं निष्पादक समिति (EC) के अंतर्गत सुरक्षित रहेंगे।

भवदीय

(ओ.पी.वर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
9. शासन उप सचिव, (ग्रुप-5) विभाग।
10. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
11. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
12. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर।
13. प्रभारी, शालादर्पण एवं प्रभारी वेब पोर्टल को भेजकर लेख है कि पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं का विवरण अपलोड करावें।
14. उप निदेशक, सांख्यिकी।
15. शिविरा संपादक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि पद्माक्षी पुरस्कार योजना के उचित प्रचार-प्रसार हेतु इस परिपत्र को शिविरा पत्रिका में भी प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
16. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारंभिक।
18. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
19. समस्त प्रधानाचार्य, डाइट।
20. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by O.P. Verma
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.06.02 15:36:14 IST
Reason: Approved